आरईसी लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित एसोसिएशन का ज्ञापन

I. कंपनी का नाम "आरईसी लिमिटेड" है।

II. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में स्थित होगा।

III. (क) जिन उद्देश्यों के लिए कंपनी की स्थापना की गई है वे हैं:-

**(1) देश में बिजली से संबंधित बुनियादी ढांचे के प्रचार और विकास के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करना।

**(2) आरईसी की उद्देश्यों से जुड़ी किसी भी परियोजना, गतिविधि या कार्य पर अध्ययन, सर्वेक्षण, जांच, अनुसंधान को वित्तपोषित करना या शुरू करना और परामर्श, प्रशिक्षण सहित किसी भी गतिविधि को अंजाम देना और कंपनी के हित में कारोबार में किसी एंटिटी आदि को वित्तपोषित करना/प्रचार करना।

**(3) बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त बिजली सहित किसी भी रूप में आपूर्ति से संबंधित निर्माण, उन्नयन, नवीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि की परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों को निष्पादित करना।

**(4) बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से प्राप्त बिजली सहित किसी भी रूप में आपूर्ति से संबंधित निर्माण, उन्नयन, नवीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, वृद्धि आदि की परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों को वित्तपोषित करना

**(5) इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल/हाइड्रो सिस्टम के निर्माण, उन्नयन, नवीकरण, सुधार, रखरखाव, मरम्मत, आधुनिकीकरण, संशोधन, प्रतिस्थापन, संवर्द्धन आदि के लिए विद्युतीकरण कार्यों सहित परियोजनाओं, गतिविधियों या कार्यों को वित्तपोषित करना, स्टैंडअलोन या जो बड़ी परियोजनाओं का हिस्सा हैं, जिनमें लिफ्ट सिंचाई, स्मार्ट शहर, रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, हवाई अड्डा आदि परियोजनाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

**(6) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और बिजली के पर्यावरणीय पहलुओं के लिए परियोजनाओं, गतिविधियों, योजनाओं को वित्तपोषित करना, जिसमें सह-उत्पादन/त्रि-उत्पादन/संयुक्त ताप और बिजली, अपशिष्ट ताप पुनर्प्राप्ति प्रणाली, ई-गतिशीलता और संबंधित आधारभूत संरचना शामिल हैं।

**(7) नवीकरणीय ऊर्जा और संबद्ध क्षेत्रों सहित बिजली क्षेत्र में आवश्यक पूंजीगत उपकरणों के निर्माण/आपूर्ति के लिए इकाइयों की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण, संचालन और रखरखाव के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
**(8) बिजली परियोजनाओं के साथ आगे और/या पिछड़े जुड़ाव वाली गतिविधियों को वित्तपोषित करना, जिसमें बिजली क्षेत्र के लिए ईंधन या अन्य ईंधन आपूर्ति व्यवस्था के रूप में उपयोग के लिए कोयले और अन्य खनन गतिविधियों का विकास, रेलवे लाइनें बिछाना, सड़कें, पुल, बंदरगाह, घाट, बंदरगाह, हवाई अड्डे, गैस पाइपलाइन, गैस टर्मिनल शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है और बिजली/ऊर्जा क्षेत्र के त्वरित और प्रभावी विकास के लिए आवश्यक अन्य बुनियादी ढांचा सुविधाओं को सक्षम करना।

प्रस्तावित जोड़

(9) भारत सरकार द्वारा अनुमत सीमा तक लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को ऋण देना।

25.09.2018 को आयोजित 49वीं एजीएम में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित/सम्मिलित।
** 24.09.2021 को आयोजित 52वीं एजीएम में पारित विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तित/सम्मिलित।

**** III. (ख) उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में आवश्यक समझे जाने वाले मामले:-**

(1) ** **ऐसे तरीके से जैसा कंपनी उचित समझे, भारत में या किसी विदेशी देश में कंपनी के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक ऋण, आधिकारिक विकास सहायता ऋण या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार / प्राधिकरण से विदेशी मुद्रा या बॉण्ड/ डिबेंचर जारी करके या अन्यथा विदेशी मुद्रा उधार लेना / प्राप्त करना।**

(2) उधार लेना, या धन जुटाना या जमा पर धन प्राप्त करना या ब्याज पर या अन्यथा ऐसे तरीके से ऋण प्राप्त करना जिसे कंपनी उचित समझे और विशेष रूप से डिबेंचर या डिबेंचर स्टॉक जारी करके, स्थायी या अन्यथा और शेयर में परिवर्तनीय हो या कोई अन्य कंपनी और कंपनी की सभी या किसी अन्य संपत्ति, परिसंपत्तियों या राजस्व (वर्तमान और भविष्य दोनों) पर बंधक, गिरवी, शुल्क या ग्रहणाधिकार द्वारा उधार ली गई, जुटाई गई या प्राप्त की गई या देय ऐसी किसी भी धनराशि का पुनर्भुगतान सुरक्षित करने के लिए अनावश्यक पूंजी और उधारदाताओं या लेनदारों को बिक्री की शक्ति और अन्य शक्तियां जो समीचीन लग सकती हैं और ऐसी किसी भी प्रतिभूतियों को खरीदने, भुनाने या भुगतान करने के लिए और समान बंधक, शुल्क या ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित और गारंटी देने के लिए, कंपनी द्वारा प्रदर्शन, जैसा भी मामला हो, कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी द्वारा किए गए किसी भी दायित्व का।

(3) कार्यों का निर्माण, निष्पादन, क्रियान्वयन, सुधार, प्रशासन, प्रबंधन या नियंत्रण का विकास करना, इस ज्ञापन में अभिव्यक्ति में विद्युत, प्रकाश ऊर्जा, टेलीफोन टेलीग्राफिक और एक कॉम्पैक्ट क्षेत्र के आधार पर, छोटे पैमाने के ग्रामीण उद्योगों को बिजली की आपूर्ति के लिए, घरेलू प्रकाश व्यवस्था के लिए नदियों से लिफ्ट सिंचाई के लिए, गन्ना, तंबाकू, चाय-बागानों, अन्य फसलों और अन्य ग्रामीण उपयोगों के विकास एवं सिंचाई के लिए गहन कृषि के लिए पंपसेट के लिए विद्युत लाइनों के विस्तार की बिजली आपूर्ति शामिल है।

(4) कंपनी या उसके किसी हिस्से के कारोबार के अधिक कुशल संचालन के लिए किसी अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करना और समय-समय पर किसी भी अनुबंध को उपट्टे पर देना।

(5) किसी भी मूल्यह्रास निधि, आरक्षित निधि, सिंकिंग फंड, बीमा निधि, विकास निधि, या किसी अन्य विशेष निधि का निर्माण करना, चाहे वह मूल्यह्रास के लिए हो, कंपनी की किसी भी संपत्ति की मरम्मत, सुधार, विस्तार या रखरखाव के लिए या कंपनी के हित में अन्य अनुकूल उद्देश्यों के लिए हो।

(6) वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों के लिए प्रायोगिक कार्यशालाओं की स्थापना, प्रावधान, रखरखाव और संचालन करना, सभी प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों और परीक्षणों को शुरू करना और आगे बढ़ाना, अध्ययन, वैज्ञानिक और तकनीकी, जांच और आविष्कारों को बढ़ावा देना, उप -कार्यशालाओं, पुस्तकालयों, व्याख्यानों, बैठकों और सम्मेलनों को शामिल करना या सहायता करना और आम तौर पर किसी भी प्रकार के अध्ययन, जांच, प्रयोग, परीक्षण और आविष्कारों को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और पुरस्कृत करना, जिन्हें किसी भी व्यवसाय में सहायता करने की संभावना माना जाता है, जिसे करने के लिए कंपनी अधिकृत है।

(7) कंपनी के कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों और पत्नियों, विधवाओं और परिवारों या ऐसे व्यक्तियों के आश्रितों या रिश्तेदारों के कल्याण के लिए मकान, आवास या चॉल का निर्माण या निर्माण में योगदान देना, या धन, पेंशन और भत्ते, बोनस या अन्य भुगतानों के अनुदान द्वारा या समय-समय पर भविष्य निधि और अन्य संघों, संस्थानों, निधियों या ट्रस्टों का निर्माण या सदस्यता या योगदान करके और शिक्षा और मनोरंजन के स्थानों को प्रदान या सदस्यता या योगदान करके, अस्पतालों और औषधालयों, चिकित्सा और अन्य

सहायता, जैसा कि कंपनी उचित समझती है और अन्यथा धर्मार्थ, परोपकारी, धार्मिक, वैज्ञानिक, राष्ट्रीय, सार्वजनिक या अन्य संस्थानों या वस्तुओं या उद्देश्यों के लिए धन की सहायता या गारंटी देने के लिए सदस्यता ले सकती है।

** 24.09.2021 **को आयोजित 52वीं एजीएम में पारित विशेष संकल्प द्वारा परिवर्तित/सम्मिलित।**

(8) किसी भी अनुबंध या दायित्वों के प्रदर्शन के लिए गारंटी देने या ज़मानत लेने के लिए असुरक्षित या सुरक्षित धन के भुगतान की गारंटी देना।

(9) भारत सरकार, या भारत में किसी भी स्थानीय या राज्य सरकार या किसी भी प्राधिकारी, स्थानीय या अन्यथा या अन्य व्यक्तियों के साथ किसी भी व्यवस्था में प्रवेश करना जो कंपनी के उद्देश्यों या उनमें से किसी के लिए अनुकूल लग सकता है और उससे प्राप्त करना उन्हें कोई भी अधिकार, शक्तियाँ और विशेषाधिकार, लाइसेंस, अनुदान और रियायतें जिन्हें कंपनी प्राप्त करना या लागू करना, प्रयोग करना और ऐसी व्यवस्था के अधिकार, विशेषाधिकार और रियायतों का अनुपालन करना वांछनीय समझ सकती है।

(10) किसी भी प्रतिभूतियों, शेयरों, निवेशों, संपत्तियों, चल और अचल में कंपनी के पैसे का निवेश और सौदा करना और ऐसे तरीके से व्यवहार करना जो समय-समय पर निर्धारित किया जा सके और उसी के साथ इस प्रकार बेचना, स्थानांतरित करना या स्थानांतरित करना या सौदा करना।

(11) अचल संपत्ति के बंधक पर या चल संपत्ति के बंधक या गिरवी पर या ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा के बिना और ऐसी शर्तों पर जो समीचीन प्रतीत हो सकते हैं और विशेष रूप से व्यक्तियों को कंपनी के साथ व्यवहार करने पर धन उधार देना।

(12) चेक प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ़ लैडिंग, डिबेंचर और अन्य परक्राम्य या हस्तांतरणीय लिखत को बनाना, स्वीकार करना, समर्थन करना, निष्पादित करना और जारी करना।

(13) कंपनी द्वारा अर्जित किसी भी संपत्ति, अधिकार या विशेषाधिकार के लिए कंपनी के शेयरों में आंशिक रूप से शेयरों में और आंशिक रूप से नकद में भुगतान करना।

(14) प्रतिफल के साथ या बिना प्रतिफल के अधिग्रहण या हासिल करना और एजेंटों के व्यवसाय को स्वयं या दूसरों या कंपनियों या साझेदारी या चिंताओं के साथ साझेदारी में चलाना, जिनके उद्देश्य आंशिक रूप से या पूरी तरह से कंपनी के समान हो सकते हैं।

(15) किसी ऐसे व्यक्ति, फर्म या कंपनी के कारोबार, संपत्ति और देनदारियों के पूरे या किसी हिस्से को हासिल करना और लेना, जो ऐसा कारोबार कर रहे हैं, जिसे चलाने के लिए कंपनी अधिकृत है, या इस कंपनी के उद्देश्यों के लिए उपयुक्त संपत्ति रखने के लिए और उसमें शेयर हासिल करना या रखना।

(16) कंपनी की सभी या किसी भी संपत्ति को किराये पर देना, चाहे वह चल हो या अचल, जिसमें सभी प्रकार की सामग्री या उपकरण शामिल हैं।

(17) लाभ साझा करने या एकत्र करने, समामेलन, हितों के मिलन, सहयोग, पारस्परिक रियायत के संयुक्त उद्यम या अन्यथा के लिए साझेदारी या किसी व्यवस्था में प्रवेश करना या किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी के साथ समामेलन करना जो इसमें शामिल है या इसके बारे में है या किसी ऐसे व्यवसाय या लेन-देन को जारी रखना या उसमें शामिल होना जिसे यह कंपनी करने के लिए अधिकृत है या किसी ऐसे व्यवसाय, उपक्रम या लेन-देन में शामिल होना जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कंपनी को लाभ

पहुंचाने के लिए सक्षम प्रतीत हो।

(18) कंपनी के किसी भी कर्मचारी या किसी भी उम्मीदवार को भारत या विदेश में प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के लिए भुगतान करना या कंपनी के उद्देश्यों के हित में या उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की भर्ती करना और नियोजित करना।

अनुवाद जारी है।